CHETANA
International Journal of Education
(CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286
शोध-पत्र

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received 18.02.2023 Reviewed 26.02.2023 Accepted 29.03.2023

उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का अध्ययन

*डॉ. रीटा झाझड़िया
**रेखा महर्षि

मुख्य शब्द - *साइबर क्राइम, उच्च माध्यमिक स्तर के षिक्षक, कारक एवं रोकथाम आदि.*

शोध सार

प्रस्तुत अध्ययन उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना पर आधारित है। इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के लिए जयपुर जिले के 30 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया और आकडों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन और टी–परीक्षण के द्वारा किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में लिंग के आधार पर और विद्यालय के प्रकार के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

प्रस्तावना

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के ज़रिये मनुष्य की पहुँच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुँच पाना कठिन होता है।

इस आलेख में साइबर अपराध, उसके प्रकार, बचाव के उपाय और सरकार के द्वारा किये गए प्रावधानों पर विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही साइबर अपराध में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किये जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।
- इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे श्इलेक्ट्रॉनिक अपराधश के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है।
- ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फ़िशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। ग़ौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

- चौधरी, सौमेन्द्र (2022) ने ए स्टडी ऑन अवेयरनेस अमंग द बी.एड. कॉलेज स्टुडेन्ट्स टुवर्ड्स साइबर क्राइम पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य कूचबिहार जिले के प्रशिक्षुओं में उनकी संकाय और क्षेत्र के संबंध में साइबर अपराध जागरूकता का अध्ययन करना। निष्कर्ष में यह पाया कि बीएड कॉलेज के विज्ञान के प्रशिक्षुओं में कला के छात्रों की तुलना में साइबर अपराध के प्रति अधिक जागरूकता दिखाई देती है। बीएड कॉलेज के ग्रामीण प्रशिक्षु, शहरी प्रशिक्षुओं की तुलना में साइबर अपराध के प्रति अधिक जागरूकता दिखाते हैं। बीएड कॉलेज के पुरुष प्रशिक्षु साइबर क्राइम के प्रति महिला प्रशिक्षुओं की तुलना में अधिक जागरूकता दिखाते हैं।
- पारवानी, पीयूषा (2022) ने अवेयरनेस रिगार्डिंग साइबर क्राइम अमंग प्यूपिल पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक समूहों के बारे में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता के स्तर का पता लगाना। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों का पता लगाना। निष्कर्ष में यह पाया कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध की दर भी बढ़ी है। लोगों को साइबर अपराध और इसे रोकने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इच्छुक उपयोगकर्ता अभी भी कानूनी और घोटाले की दुनिया के बीच संघर्ष कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति और विकास के साथ साइबर अपराधियों ने साइबर अपराध करने के नए तरीके भी खोजे हैं। यह भी पाया गया कि अन्य लोगों की तुलना में वयस्कों में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता अधिक थी। चूंकि साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिए लोगों को अपनी निजी जानकारी के बारे में जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- रेखा (2022) ने एन इन्वेस्टीगेशन इन टू द साइबर क्राइम अवेयरनेस अमंग पुपिल टीचर्स ऑफ पंजाब पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य पंजाब के पुरुष और महिला छात्राध्यापकों में साइबर अपराध जागरूकता की तुलना करना और पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित छात्राध्यापकों में साइबर अपराध जागरूकता की तुलना करना। निष्कर्ष में यह पाया कि छात्राध्यापकों में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता कम थी। पुरुष छात्राध्यापकों में उनकी महिला समकक्षों की तुलना में काफी अधिक साइबर अपराध जागरूकता है। शहरी छात्राध्यापकों में अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता काफी अधिक है।

- शर्मा, वेद प्रकाश और कुमारी, सुनिता (2022) ने ग्रामीण व शहरी शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की साइबर अपराध के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य साइबर अपराध के प्रति महिला एवं पुरूष शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में तुलनात्मक अध्ययन करना था। निष्कर्ष में यह पाया कि ग्रामीण व शहरी शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता के स्तर में स्थान के आधार पर सार्थक अन्तर पाया जाता है। ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का स्तर कम है वहीं शहरी प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का स्तर ज्यादा है क्योंकि शहरी प्रशिक्षणार्थी समय–समय पर शिक्षण संस्थाओं में हो रहे जागरूकता कार्यक्रमों से विद्यार्थी ज्यादा जागरूक हो रहे जबकि ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों के सामने जागरूकता कार्यक्रमों का अभाव रहा है।

उद्देश्य

1 उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष एवं महिला शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का अध्ययन करना।

2 उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1 उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष एवं महिला शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

2 उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

शोध विधि – इस शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – इस शोध कार्य में न्यादर्श के लिए 30 शिक्षकों का चयन साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है।

उपकरण – इस शोध कार्य में आंकडों का संकलन करने के लिए स्वनिर्मित साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना मापनी का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी विधि – आंकडों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण के द्वारा किया गया।

विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना 1 – उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष एवं महिला शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या : 1

उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष एवं महिला शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
पुरूष शिक्षक	15	230.75	24.13	0.49	0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत
महिला शिक्षक	15	233.04	17.97		

व्याख्या और विश्लेषण

उपरोक्त तालिका उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना से संबंधित सांख्यिकीय परिणाम दर्शाती है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का माध्य मान 230.75 तथा मानक विचलन 24.13 है। दूसरी ओर उच्च माध्यमिक स्तर के महिला शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का माध्य मान 233.04 तथा मानक विचलन 17.97 है। प्राप्त माध्यों में अंतर की गणना टी परीक्षण द्वारा की गयी। इससे टी परीक्षण का मान 0.49 प्राप्त हुआ। टी परीक्षण का परिकलित मान तालिका के मान से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

आरेख संख्या : 1

उच्च माध्यमिक स्तर के पुरूष एवं महिला शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना के मध्यमान एवं मानक विचलन

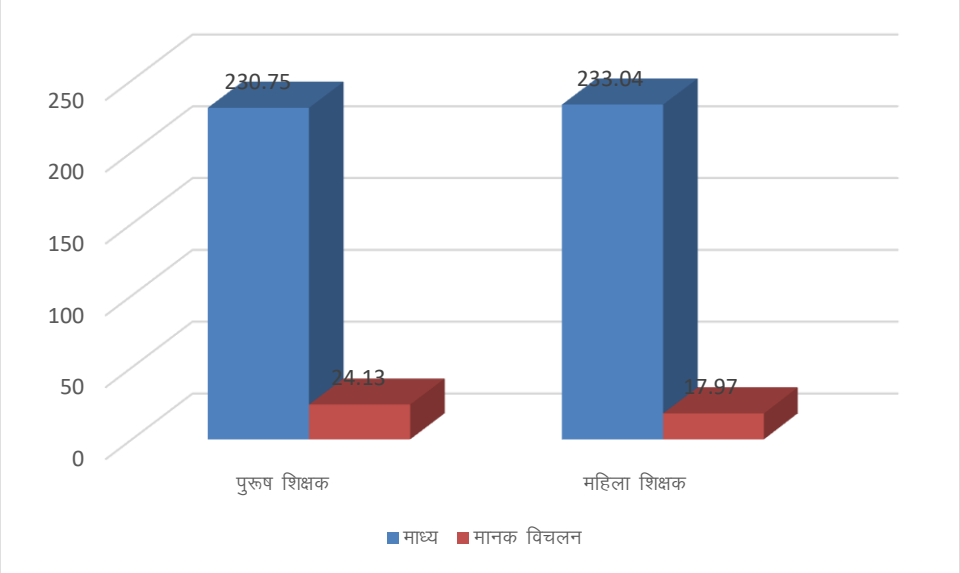

परिकल्पना – 2 उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या : 2

उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना

समूह	संख्या	माध्य	मानक विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
सरकारी विद्यालय के शिक्षक	15	237.93	16.24	1.95	0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत
गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षक	15	225.86	23.89		

व्याख्या और विश्लेषण

उपरोक्त उतालिका उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना से संबंधित सांख्यिकीय परिणाम दर्शाती है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का माध्य मान 237.93 तथा मानक विचलन 16.24 है। दूसरी ओर उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना का माध्य मान 225.86 तथा मानक विचलन 23.89 है। प्राप्त माध्यों में अंतर की गणना टी परीक्षण द्वारा की गयी। इससे टी परीक्षण का मान 1.95 प्राप्त हुआ। टी परीक्षण का परिकलित मान तालिका के मान से कम है। परिणामस्वरूप शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

आरेख संख्या : 2

उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों में साइबर क्राइम के कारकों एवं रोकथाम के प्रति चेतना के मध्यमान एवं मानक विचलन

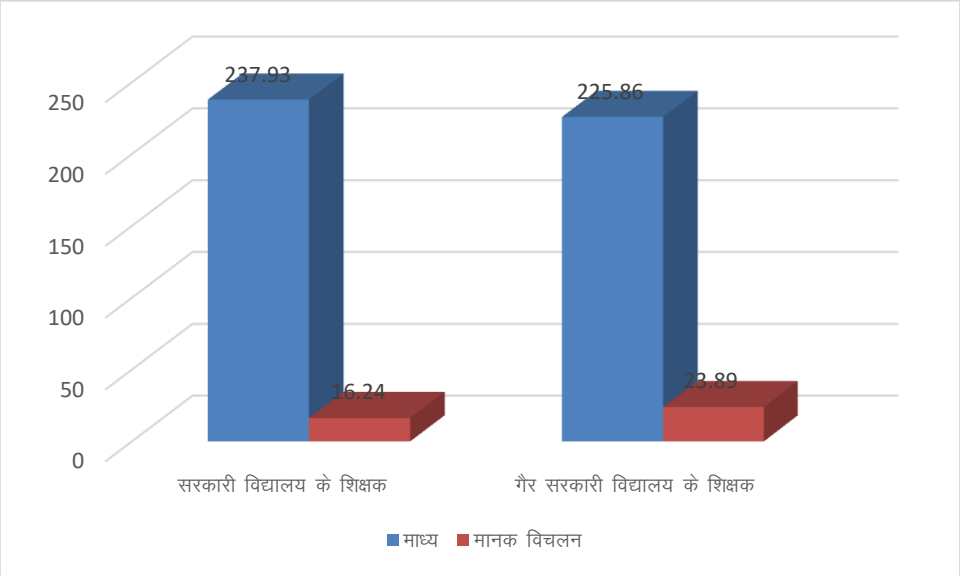

निष्कर्ष– भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकता है।

संदर्भ

- https://www.pdfdrive.com>cyber-c.
- http Crime in India Report 2016, National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India
- http://ncrb.gov.in/
- http://www.allahabadhighcourt.in/indexhigh.html
- http://www.sarita.in/law/cyber-law-and-crime
- https://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
- https://www.latestcarenews.com>
- https://www.cybercrime.gov.in/upload
- https://ncrb.gov.in/ht/

Corresponding Author

*** डॉ. रीटा झाझड़िया,** *शोध निर्देशिका एसोसिएट प्रोफेसर,*
रेखा महर्षि, *शोधकर्त्री*
शिक्षा विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर
Email- rekhamahershi01@gmail.com, Mobile-7728990565